रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1521] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 22, 2006/पौष 1, 1928
No. 1521] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 22, 2006/PAUSA 1, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2006

आयकर

का.आ. 2146(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 54ङग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के उप-खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा, जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत कम्पनी है, 26 दिसंबर, 2006 से 31 मार्च, 2007 तक की अवधि के दौरान (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं), उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए 'दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति' के रूप में जारी किए जाने वाले तीन हजार पाँच सौ करोड़ रुपए की रकम के बंधपत्र (तीन वर्ष के पश्चात् मोचनीय), निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए जारी करती है, अर्थात् :–

(i) ऐसे व्यक्ति को, जिसने केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 963(अ), तारीख 29 जून, 2006 या अधिसूचना संख्यांक का.आ. 964(अ), तारीख 29 जून, 2006 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 54ङग के प्रयोजनों के लिए 'दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति' के रूप में अधिसूचित बंधपत्रों में कुल मिलाकर पचास लाख रुपए से अधिक रकम का विनिधान किया है, इस अधिसूचना के अधीन 'दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति' के रूप में अधिसूचित कोई बंधपत्र आबंटित नहीं किए जाएंगे;

(ii) ऐसे व्यक्ति को जो खंड (i) के अंतर्गत नहीं आता है, ऐसी किसी रकम के लिए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 963(अ), तारीख 29 जून, 2006 या अधिसूचना संख्यांक का.आ. 964(अ), तारीख 29 जून, 2006 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 54ङग के प्रयोजनों के लिए 'दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति' के रूप में अधिसूचित बंधपत्रों में उसके द्वारा किए गए कुल विनिधान, यदि कोई हो, को पचास लाख रुपए की रकम से घटाकर आई रकम से अधिक होती है, इस अधिसूचना द्वारा 'दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति' के रूप में अधिसूचित बंधपत्र आबंटित नहीं किए जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 380/2006/फा.सं. 142/09/2006-टीपीएल]

शरत चंद्र, निदेशक